न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–265/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/265)

1. मैसर्स अर्पिता बिल्ड मार्ट प्रा०लि० जरिए डायरेक्टर दिनेश पाटनी पुत्र श्री छीतरमल पाटनी निवासी शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति युगलकिशोर जी महाराज किशनगढ़ जरिए तथाकथित आराधक श्री भागीरथ वैष्णव पुत्र स्व० श्री सीताराम वैष्णव निवासी खवाखस भैरूजी की गली पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. मैसर्स लवली कोलोनाइजर प्रा०लि० किशनगढ़ जरिए डायरेक्टर प्रदीप चौधरी पुत्र मूलचंद चौधरी निवासी हमीर कॉलोनी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री कैलाश चंद निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. कैलाश चंद पुत्र भंवरलाल निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर।
6. रामेश्वर लाल पुत्र मांगीलाल
7. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल
8. शिवप्रसाद पुत्र मांगीलाल
9. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल
10. श्रवणलाल पुत्र मांगीलाल
    समस्त निवासी ग्राम फलासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
11. जुगलकिशोर पुत्र बालकिशन दारा
12. गोपीकिशन पुत्र बालकिशन दारा
    निवासीगण रावाड़ी गेट किशनगढ़ जिला अजमेर।
13. कमीशनर, नगर परिषद किशनगढ़ जिला अजमेर।
14. मंदिर मूर्ति युगल किशोर जी महाराज आराधक धनश्याम जांगिड पुत्र मिलापचंद निवासी नया शहर किशनगढ़, अजमेर।
15. उप–पंजीयक, किशनगढ़, अजमेर।

रेस्पोडेंट्स।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.09.2022 राजस्व वाद संख्या 159/2022

उपस्थितः–

1. श्री सुमित जैन, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एस.पी.ओझा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री निकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2, 15.
4. श्री ओमेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 05.
5. श्री दिनेश कुमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 06.
6. श्री जे.पी.शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8.
7. श्री रघुनाथ सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 9,10.
8. श्री विक्रम पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11, 12.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9. श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 13.
10. श्री महेन्द्र सिंह /दिलीप सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 14.

निर्णय

दिनांकः– 20.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 159/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि माफी मंदिर श्री युगल किशर जी महाराज स्थान किशनगढ, किशनगढ़ के पुराने मंदिर में से एक है, जागीर समय से मंदिर नाबालिग की खुदकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 91–18–00 बीघा भूमि ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ में स्थित है जो कि वर्ष 2010 तक अर्थात 2067–2070 तक मंदिर के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त मंदिर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बिना किसी आधार के सम्वत 2067–2070 की जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 के जरिये "अन्य के स्वीकृत होने पर मुताबिक निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के खसरा नम्बर 186 रकबा 91–16–00 बीधा मु.विमला बेवा बालकृष्टा, जुगल किशोर, गोपी कृष्ण पुत्रान बालकृष्ण कौम ब्राहमण सा0 सरवाडी गेट किशनगढ़ के नाम खातेदारी में दर्ज किया" एवं नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 के दूसरे दि नही दिनांक 19.10.2010 को उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 8 को बेचान कर दी गयी थी जिसका नामन्तकरण संख्या 503 दिनांक 16.08.2012 को दर्ज किया गया जिसके आधार पर अपीलांट उक्त आराजी का भू रूपांतरण कराने का उद्दत हो रहे है रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 मंदिर का नाम हटाकर अप्रार्थी संख्या 3, 4 एवं विमला देवी के नाम दर्ज किया गया है वह गलत है यदि वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक वाद ग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति नही रखी गयी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की संपत्ति खुर्द–बुर्द कर दी जावेगी जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद निष्फल हो जाएगा। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 91–18–00 बीघा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 12.09.2022 को पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 159/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 से असुंतष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01,03 से 05, 09, 10, 11, 12, 14 की बहस सुनी गई। बरवक्त बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 06, 07, 08 व 13 उपस्थित नहीं हुए, ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 415, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 07.10. 2010 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है जो की उच्चतम न्यायालय तक बहाल रहा है एवं उक्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी का 1.9998 है0 यानी 23919.00 वर्गमीटर भाग कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर द्वारा दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से किया जा चुका है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही था ना ही रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में स्वयं का कोई लोकस बताया गया है की उक्त वादग्रस्त आराजी पर उसका क्या विधिक हक एवं अधिकार है मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथनो पर विश्वास कर एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया जिसकी आड में में वह अपीलांट को नाजायज रूप से हैरान परेशान किया जा रहा है। उक्त विवादित आराजी बाबत् पूर्व में भी की गई अपील में आदेश पारित किये जा चुके है जिसकी अपील/ रिट मान्नीय उच्चतम न्यायालय तक की गई किन्तु उनके द्वारा खारिज कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादग्रस्त आराजी का 1.9998 है. यानी23919.0 वर्ग मीटर भाग कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपरिषण, किशनगढ़, अजमेर द्वारा दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से किया जा चुका ह। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। जिस कारण उक्त वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में पारित किया गया एक पक्षीय आदेश दिनांक 12.09.2022 काबिज निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपना लोकस नहीं बताया गया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी से वह किस प्रकार हितबद्ध है या उक्त वादग्रस्त आराजी पर उसका क्या विधिक हक एवं अधिकार है इस प्रकार बिना कोई स्वत्व एवं विधिक अधिकार को तय किए बिना मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथनो पर विश्वास कर एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रमुख तीन बिन्दुओ क्रमशःप्रथम दृष्टिया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन किए बिना स्थगन आदेश पारित किये है जो नॉन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में पारित किया गया एक पक्षीय आदेश दिनांक 12.09.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि माफी मंदिर श्री युगल किशोर जी महाराज स्थान किशनगढ, किशनगढ के पुराने मंदिरों में से एक है जागीर समय से मंदिर नाबालिग की खुदकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 91–18–00 भूमि ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ में स्थित है जो वर्ष 2010 तक अर्थात संवत 2067 से 2070 तक मंदिर के नाम ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दर्ज रही है। उपरोक्त मंदिर भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना किसी आधार के संवत 2067 से 2070 की जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 के जरिये अन्य के स्वीकृत होने पर मुताबिक निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के ख0न0 186 रकबा 91–18–00 मु0 विमला बेवा बालकिशन, जुगलकिशोर, गोपीकृष्ण पि0 बालकृष्ण कौम ब्राहम्ण सा0 सरवाडी गेट किशनगढ के नाम खातेदारी में दर्ज किया एवं नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 के दूसरे दिन ही दिनांक 19.10.2010 को उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 08 को बेचान कर दी गई थी जिसका नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 16.08.2012 को दर्ज किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 8 उपरोक्त मंदिर की भूमि के बावत अप्रार्थी संख्या 02 से मिलीभगत कर उसका रूपान्तरण करवाने में उद्दत हो रहे है जबकि उपरोक्त भूमि आज भी कृषि है। अप्रार्थी संख्या 03 व 4 के पूर्वाधिकारी ने उपरोक्त भूमि को घीसा पुत्र नानगराम जो अप्रार्थी संख्या 09 लगायत 13 के दादा लगते थे को बेचान की थी एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 09 लगायत 13 ही काबिज चले आ रहे थे, किन्तु तत्समय उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 01 ने नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 23.08.1967 को इस नोट के साथ खारिज किया है कि,"यह जमीन श्री युगलकिशोर जी महाराज की मूर्ति के नाम दर्ज है, बालकृष्ण की हैसियत पुजारी है। अतः उन्हे बेचने का अधिकार नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के रहते हुए अप्रार्थी सख्या 01 ने जो नामान्तरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 मंदिर का नाम हटाकर अप्रार्थी संख्या 03,04 एवं विमला देवी के नाम दर्ज किया गया है वह गलत हो जाता है। यदि वाद गुणावगुण निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत नहीं रखी गई तो प्रार्थी नाबालिग की सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया जायेगा, अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को देखते हुए आदेश पारित किया है जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना अप्रार्थी संख्या 01 को दी गई, फिर भी वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित निर्णय के उपरान्त भी नाबालिग के हितों के संरक्षण के लिये दायित्वाधीन रहते हुंए भी उपरोक्त भूमि वापस मंदिर के नाम दर्ज नहीं कर रहा है। यदि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से एतराज था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आदेश 39 नियम 4 जा.दी. प्रस्तुत कर आपत्ति कर सकते थे तथा अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त अपील के माध्यम से जो उज्र एवं एतराज अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते थे परन्तु अपीलांट द्वारा अविधिक रूप से विना अपना जवाब एवं उज्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये अविधिक रूप से उक्त अपील के माध्यम से अपीलांट द्वारा सिधे तौर पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, चलने योग्य नही है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 03 से 05 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुख्यतय अपीलांट द्वारा उठाये गये उज्र एवं एतराजों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.09.2022 का आदेश विधिक दृष्टि से पोषणीय नहीं होने एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2010 एवं राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 07.08.2012 एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि किये जाने के

वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 क्षेत्राधिकार के बाहर होने से उक्त आदेश इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 09,10 ने दौराने जवाब बहस विद्वान अधिवक्ता 01 का समर्थन करते हुए कथन किया अपील परिक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध पेश कि है जो चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट 11 व 12 ने दौराने बहस कथन किया कि नामांतरण संख्या 415 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय की अनुपालना में स्वीकृत किया गया जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही था इसके बावजूद अपने से उच्चतर अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की पालना में खोले गये नामांतकरण आदेश को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0संख्या 1/वादी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाकर नवीन वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश कर आक्षेपित आदेश प्राप्त किया है जो अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे ।

9. अभिभाषक रेस्पो0 14 संख्या ने विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 का समर्थन करते हुए कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 91 वीघा 18 बिस्वा (14.8694 है0) भूमि त्रुटिपूर्ण रूप से मंदिर का नाम हटाकर रेस्पो0 संख्या 11,12 एवं उनकी मा श्रीमती विमला देवी के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 415 दिनांक 18.10.10 को रेस्पो संख्या 01 एवं 14 के द्वारा प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते हुए दर्ज किया गया है रेस्पो0 संख्या 11,12 तथा विमला देवी के नाम नामान्तरण संख्या 415 तस्दीक होने के दूसरे दिन सम्पूर्ण भूमि को तीन अलग–अलग विकय पत्रों से रेस्पो0 संख्या 02 लगायत 5 एवं अपीलांट को बेचान कर दी। विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2010 में मंदिर पक्षकार नहीं था। नामातंरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 जिसमें मंदिर की खातेदारी हटाकर पुजारियों के नाम दर्ज किया है, वह कानूनन गलत है। राज0 काश्त0 अधि0 में स्पष्ट है कि नाबालिग की जमीन पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। मंदिर मूर्ति नाबालिग है जिसकी सम्पत्ति खुर्द–बुर्द होने की स्थिति हर लोक कर्मचारी उसके लिए कानूनन दायित्वाधिन रहता है इन्ही राब तथ्यों को ध्यान में रखकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अन्तरिम आदेश विधिसम्मत है।

10. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2010 की अनुपालना में तस्दीक किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2010 के विरूद्ध रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.08.2012 के द्वारा रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । तत्पश्चात् माननीय मण्डल द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय दिनांक 07.08.2012 के विरूद्ध रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा अपील मान्नीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच की एकल पीठ के समक्ष सिविल रिट पिटीशन संख्या 13090/2012 व 2678/2013 प्रस्तुत की गई जो मान्नीय उच्च न्यायालय जयपुर बैच की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 08.08.2014 द्वारा खारिज की गई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के समक्ष स्पेशल अपील पेश की गई, जिसे खण्ड पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.05.2018 के माध्यम से निरस्त किया गया है। स्पेशल अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध रामेश्वर वगैरह द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट प्रस्तुत की गई जो भी मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 के माध्यम से निरस्त की गई है । अर्थात प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण होने के पश्चात यह वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी बावत् मान्नीय उच्चतम न्यायालय तक निस्तारण होने के बावजूद रेस्पो0संख्या 1 व 14 द्वारा इन्हीं भूमियों बावत् पूर्व में माननीय उच्चत्तर न्यायालय तक पारित निर्णयों को नजरअंदाज कर परीक्षण न्यायालय ने एकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । परीक्षण न्यायालय का दायित्व था कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के आवश्यक तीन तत्व यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करते । किन्तु परीक्षण न्यायालय ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित विधियों के विपरीत एकतरफा में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। हम न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है ।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 212 राज0काश्त0अधि01955 के तहत आवश्यक घटकों यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण करते हुए 30 दिवस (जिसमें सप्ताह भर की चार तारीख दी जाकर) में विधिनुसार प्रार्थना पत्र धारा 212 को निर्णित करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,